रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032022-234278 CG-DL-E-17032022-234278

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1153] No. 1153] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2022/फाल्गुन 25, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2022/PHALGUNA 25, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2022

का.आ. 1193(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में, छूट की वैधता को बढ़ाती है और उक्त प्रयोजन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 2039(अ), तारीख 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना में संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, "पांच वर्ष", शब्दों के स्थान पर, "दस वर्ष", शब्द रखे जाएंगे ।

[फां. सं. प्रतिस्पर्धा-05/4/2022-प्रतिस्पर्धा-एमसीए]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

1837 GI/2022 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2022

S.O. 1193(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, in the public interest, hereby extends the validity of the exemption and for the said purpose amends the notification of the Ministry of the Corporate Affairs published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 2039(E), dated the 29th June, 2017, namely: -

In the said notification, for the words "five years", the words "ten years" shall be substituted.

[F. No. Comp-05/4/2022-Comp-MCA] K.V.R. MURTY, Jt. Secy.